उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-14

फाईल संख्या-23-14002(002)/1/2021 लोक निर्माण अनुभाग-14

संख्या-214/2021/आई0/105604/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14

लखनऊ: दिनांक- 07 अक्टूबर, 2021

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-56/83 में पूर्वांचल/बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-209/2021/आई0/103329/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021 द्वारा पूर्वांचल विकास निधि अनुदान संख्या-83 (जिलांश) एवं शासनादेश संख्या-210/2021/आई0/103336/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021 द्वारा बुन्देलखण्ड विकास निधि अनुदान संख्या-56 (जिलांश) द्वारा जनपदों के मध्य आवंटन निर्गत की गयी है।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-209/2021/आई0/103329/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021 के प्रस्तर-7(22) में त्रुटिवश शासनादेश संख्या-163/2020/515/23-14-2020-04जनरल/2020, दिनांक 01.10.2020 के स्थान पर शासनादेश संख्या-163/2020/515/23-14-2020-04जनरल/2020, दिनांक 01.10.2002 एवं प्रस्तर-8 में वित्तीय वर्ष 2021-22 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2020-21 तथा प्रस्तर-9 में वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-8-1382/दस-8-20212022, दिनांक 27.09.2021 के स्थान पर संख्या-ई-8-1332/दस-8-20212022, दिनांक 27.09.2021 अंकित हो गया है।

3- इसी प्रकार शासनादेश 210/2021/आई0/103336/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021 में प्रस्तर-9 में वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-8-1382/दस-8-20212022, दिनांक 27.09.2021 के स्थान पर संख्या-ई-8-1332/दस-8-20212022, दिनांक 27.09.2021 अंकित हो गया है।

4- प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रस्तर संख्या	त्रुटिवश अंकन	वास्वतिक अंकन
1	209/2021/आई0/103329/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021	7(22)	शासनादेश संख्या-163/2020/515/23-14-2020-04जनरल/2020, दिनांक 01.10.2002	शासनादेश संख्या-163/2020/515/23-14-2020-04जनरल/2020, दिनांक 01.10.2020
		8	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
		9	संख्या-ई-8-1332/दस-8-20212022, दिनांक 27.09.2021	अशासकीय संख्या-ई-8-1382/दस-8-20212022, दिनांक 27.09.2021
2	210/2021/आई0/103336/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021			

5- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-209/2021/आई0/103329/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021 एवं शासनादेश संख्या-210/2021/आई0/103336/2021/लोक निर्माण अनुभाग-14, दिनांक 04.10.2021 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उक्त दोनों शासनादेशों की शेष शर्ते एवं अन्य विवरण यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

राजेश कुमार पाण्डेय

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या उपरोक्त तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रमुख महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।

(4) वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।

(5) निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी, उ0प्र0 शासन।

(6) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

(7) निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

(8) विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मुख्य मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।

(9) मुख्य अभियंता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

(10) संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।

(11) वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी समस्त संबंधित जनपद।

(12) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार पाण्डेय

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।